अनुसूची 21–फारम सं0–113

संपत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या 20 आवेदन सं0 20

चूँकि श्री Amarjeet Kr. Singh 544

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाये।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता0 01-01-1991 20— से ता0 20-01-2022 तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला चला है अतः अवभार नहीं

क्र0सं0	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारिख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र0 निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	mauza— Lohanipur P.S— Kankarbagh P.S.No 06 Khata No 85 Plot No 294 Area— 91 Decimal.							

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें ।

2. बंधक–पत्र की दिशा ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें । बशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।

3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें ।

मै यह प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त संव्यवहारों और अपभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रगणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण–पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर): आशा सिन्हा

(पदनाम): V.D.C

कार्यालय: patna

तारीख: 27-01-2022

जिला अवर निबंधक पटना

27/01/22

मुख्य एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :– इस प्रमाण–पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा–57 के अधीन जो व्यक्ति (बाहयों) और अनुक्रमणियाँ (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण–पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वंय करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वंय तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रामण–पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, अवर निबंधक, 688

ज्ञाप संख्या..... दिनांक 27/01/2022

आवेदक श्री Amarjeet Kumar Singh

का ऋणभार प्रमाण–पत्र द्वारा, manager B.O.B Exhibition Road Branch patna

का उनके पत्र संख्या..... दिनांक 26/01/2022 के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

27/01/22

निबंधन पदाधिकारी,

27.1.22 patna